सं0 2541/V-श0वि0-05-556(सामान्य)/2004

प्रेषक,

अमरेन्द्र सिन्हा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
उत्तरांचल, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग: देहरादून, 14-अक्टूबर, 2005

विषय : मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा दिनांक 26-2-2004के कम में जनपद टिहरी गढ़वाल भ्रमण के दौरान नगर पालिका नरेन्द्र नगर को सड़क व सौन्दर्यीकरण हेतु अनुदान दिये जाने की घोषणा के कियान्वयन हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति विषयक ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न सूची में उल्लिखित 11 योजनाओं को कार्यान्वित किये जाने हेतु रू0-25.00 लाख के आगणन के विपरीत टी0ए0सी0 द्वारा तकनीकी परीक्षणोपरान्त संस्तुत रू0-23.38 लाख (तेईस लाख अड़तीस हजार मात्र) की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- उक्त धनराशि आपके द्वारा आहरित कर सम्बधित कार्यदायी संस्थाओं को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

2- उक्त धनराशि का उपयोग उन्हीं योजनाओं एवं मदों के लिए किया जायेगा जिन योजनाओं एवं मदों के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है।किसी भी दशा में धनराशि का व्ययावर्तन किसी अन्य योजना/मद में नही किया जायेगा।

3- स्वीकृत धनराशि के व्यय अथवा निर्माण करने से पूर्व सभी योजनाओ/कार्यों पर संबंधित मानचित्र एवं विस्तृत आगणन गठित कर तकनीकी दृष्टिकोण से समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए एवं विशिष्टियों का अनुपालन करते हुए प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

4- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी के अधिशासी अभियंता तथा सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे।

5- स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर परचेजरूल्स एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये, एकमुश्त प्राविधान के विस्तृत आगणन गठित कर लिये जाये, और इन पर यदि किसी तकनीकी अधिकारी के कार्य कराने से पूर्व का अनुमोदन प्राप्त करना नियमानुसार आवश्यक हो तो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।

6- कार्यदायी संस्था का निर्धारण शासनादेश संख्या 452/XXVII(1)/2005 दिनांक 05 अप्रैल 2005 के अनुसार किया जायेगा।

7- स्वीकृत की जा रही धनराशि का एकमुश्त आहरण न करके यथाआवश्यकता ही किश्तों में आहरण किया जायेगा।

8- सभी निर्माण कार्य समय-समय पर गुणवत्ता एवं मानको के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेगें तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते है तो सम्बन्धित संस्था को अग्रेत्तर धनराशि उक्त मानकों को पूर्ण करने पर निर्गत की जायेगी। निर्माण एजेंसी को एकमुश्त पूर्ण धनराशि अवमुक्त न करके दो अथवा तीन किश्तों में धनराशि अवमुक्त की जायेगी और अंतिम किश्त तब ही निर्गत की जाये जब कार्य की गुणवत्ता ठीक हो, शासनादेश के मानकों के अनुरूप हो।

9- आगणन में उल्लिखित दरों को विश्लेषण सम्बन्धित विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को पुनः स्वीकृति हेतु अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

10- उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि की प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव अविलम्ब शासन को प्रेषित किया जायेगा।

11- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टी के मद्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित् करें।

12- विस्तृत आगणन में ली जाने वाली दरों का अनुमोदन निकटतम लो0नि0वि0 के अधीक्षण अभियन्ता से आवश्यक होगा एवं कार्य कराने से पूर्व समस्त कार्यों का स्थल निरीक्षण उच्च अधिकारियों से करा लिया जायेगा एवं स्थल पर आवश्यकतानुसार ही कार्य किये जायेंगे।

13- निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।

14- स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31-3-2006 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र भी शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

15- उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष-2005-06 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-13, लेखाशीषर्क-2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास- आयोजनागत-191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता-03-नगरों का समेकित विकास-05-नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास-42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

16- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0प0सं0- 1824 /वित्त अनुभाग-3/2005, दिनांक-03 अक्टूबर, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमरेन्द्र सिन्हा)
सचिव।

अवस्थापना विकास बजट/ 12

899

शासनादेश संख्या2541 /v/श0वि0–556(सामान्य)/2004 दिनांक 14, अक्टूबर, 2005 का संलग्नक ।

(धनराशि लाख में)

क0सं0	प्रास्तावित योजना/कार्यो का नाम।	प्रेषित आगणन की लागत	टी0ए0सी द्वारा स्वीकृत /व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि
1	आर्मी रोड़ से श्री मैठाणी के आवास को जाने वाले पैदल मार्ग की मरम्मत ।	1.07	1.01
2	बस अड्डे से आर्मी रोड़ एवं नाला निर्माण ।	1.38	1.26
3	आर्मी रोड से प्राथमिक विद्यालय तक सी.सी. सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	2.56	2.44
4	उपजिलाधिकारी आवास/ अधिकारी हास्टल के समीप मार्ग का निर्माण।	1.65	1.54
5	प्लास्डा में पैसेंजर शेड का निर्माण	1.55	1.25
6	एस0सी0ई0आर0टी0 को जाने वाले पैदल मार्ग से श्री पिताम्बर दत्त के मकान तक सीसी मार्ग निर्माण।	0.50	0.47
7	मधुबन कालोनी जाने वाला अवशेष मार्ग निर्माण।	0.60	0.57
8	कुमार खेड़ा मेन रोड से कुमार खेडा बस्ती को जाने वाला पैदल मार्ग एवं नाली निर्माण ।	6.19	5.88
9	बखरियाणा बस्ती को जाने वाले पैदल मार्ग का निर्माण	6.39	6.03
10	कुमार खेडा मेन रोड से डी0जी0बी0आर0 कैम्प को जाने वाला पैदल मार्ग का निर्माण	2.20	2.10
11	झंडा मैदान से अस्पताल को जाने वाले पैदल मार्ग में बाउण्ड्री दिवार/सडक मरम्मत का कार्य।	0.91	0.83
अवस्थापना विकास	योग–3	25.00लाख	23.38 लाख

Sd/-

संं0 25(iii)/ V-श0वि0–05,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उत्तरांचल, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री जी।
3– जिलाधिकार, टिहरी गढ़वाल ।
4– कोषाधिकारी, देहरादून।
5– वित्त अनुभाग–3/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ,बजट अनुभाग,उत्तरांचल शासन।
6– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
7– मुख्यमंत्री कार्यालय (घोषणा अनुभाग) को उनके पत्र संख्या 167/मु0मं0का–3/95 धोषणा /04 देहरादून दिनांक 4–3–2004 के कम में इस आशय से प्रेषित की वे मा0 मुख्यमंत्री जी की उक्त घोषणा को पूर्ण मान लिया जाय।
8– अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नरेन्द्र नगर।
9– अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, नरेन्द्र नगर।
10– गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(सुब्रत विश्वास)
अपर सचिव।